

भारत में कृषि मूल्यों को स्थिर करने के लिए **बफर स्टॉक** के महत्व को स्पष्ट कीजिए। बफर स्टॉक के भंडारण से जुड़ी चुनौतियाँ क्या हैं? चर्चा कीजिए। **[UPSC 2024]**

Elucidate the importance of buffer stocks for stabilizing agricultural prices in India. What are the challenges associated with the storage of buffer stocks? Discuss.

बफर स्टॉक सरकार द्वारा आपात स्थितियों, फसल खराब होने या बाजार में मूल्य अस्थिरता के समय खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने और कीमतों को नियंत्रित करने के उद्देश्य से भंडारित की जाने वाली खाद्यान्न (मुख्य रूप से गेहूँ और चावल) की एक सुरक्षित मात्रा है। भारत में इसका प्रबंधन **भारतीय खाद्य निगम** तथा राज्य एजेंसियों द्वारा किया जाता है। मानसूनी अनिश्चितताओं से प्रभावित भारतीय कृषि में बफर स्टॉक न केवल खाद्य सुरक्षा का आधार है, बल्कि कृषि बाजार में स्थिरता बनाए रखने का प्रमुख आर्थिक उपकरण भी है।

कृषि मूल्यों को स्थिर करने में बफर स्टॉक का महत्व



1. उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति पर नियंत्रण:

उत्पादन में कमी या आपूर्ति शृंखला में व्यवधान के समय सरकार 'खुले बाजार की बिक्री योजना' (OMSS) के तहत बफर स्टॉक से अनाज बाजार में जारी करती है, जिससे कीमतों में उछाल नहीं आता।

उदाहरण: वर्ष 2023-24 में जब गेहूँ और चावल के घरेलू दामों में तेजी आई, तो सरकार ने OMSS के जरिए लाखों मीट्रिक टन गेहूँ खुले बाजार में बेचकर बढ़ती कीमतों पर अंकुश लगाया।

2. संकटपूर्ण बिक्री से किसानों का संरक्षण:

बंपर पैदावार के वर्षों में बाजार में अत्यधिक आपूर्ति के कारण कीमतें अचानक गिर जाती हैं। सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बफर स्टॉक हेतु खरीद करती है, जिससे बाजार में एक कृत्रिम मांग उत्पन्न होती है और किसानों को नुकसान से बचाया जाता है।

उदाहरण: पंजाब और हरियाणा में मंदी के समय FCI द्वारा व्यापक स्तर पर MSP खरीद की जाती है, जिससे खुले बाजार में कीमतें MSP के नीचे जाने से बच जाती हैं।

3. जमाखोरी और सट्टेबाजी पर लगाम:

सरकारी गोदामों में पर्याप्त स्टॉक की उपलब्धता से निजी व्यापारियों में भय बना रहता है, जिससे वे बाजार में कृत्रिम कमी पैदा करके मुनाफाखोरी नहीं कर पाते।

उदाहरण: दालों और प्याज के मामले में जब सरकार ने बफर स्टॉक बनाए रखने की घोषणा की, तो निजी स्ट्रेबाजों द्वारा की जाने वाली कृत्रिम जमाखोरी पर रोक लगी।

4. संकट के समय मूल्य और आपूर्ति स्थिरता:

वैश्विक या राष्ट्रीय आपदाओं के समय बफर स्टॉक खाद्य वस्तुओं की कीमतों को अचानक आसमान छूने से रोकता है।

उदाहरण: कोविड-19 महामारी और लॉकडाउन के दौरान 'प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना' के तहत बफर स्टॉक से मुफ्त अनाज देकर देश में खाद्य कीमतों और भूखमरी की स्थिति को स्थिर रखा गया।

5. अंतर्राष्ट्रीय बाजार के झटकों से सुरक्षा:

वैश्विक स्तर पर युद्ध या भू-राजनीतिक तनाव से जब खाद्य कीमतें बढ़ती हैं, तब बफर स्टॉक घरेलू बाजार को उन झटकों से बचा कर रखता है।

उदाहरण: रूस-यूक्रेन युद्ध (2022) के कारण जब वैश्विक स्तर पर गेहूं की कीमतें रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचीं, तब भारत ने अपने मजबूत बफर स्टॉक के बल पर घरेलू कीमतों को नियंत्रित रखा और निर्यात पर समय रहते नियंत्रण लगाया।

बफर स्टॉक के भंडारण से जुड़ी चुनौतियाँ



1. वैज्ञानिक भण्डारण क्षमता की कमी:

भारत में आधुनिक साइलो की कमी है। पर्याप्त पक्के गोदाम न होने के कारण अनाज को खुले में खुला भंडारण तकनीक यानी तिरपाल से ढककर रखा जाता है, जिससे सीलन, बारिश और कीटों से अनाज नष्ट होता है।

उदाहरण: मानसून के मौसम में पंजाब और उत्तर प्रदेश के खुले गोदामों में हजारों टन गेहूं सड़ने की खबरें अक्सर सामने आती हैं।

2. अत्यधिक स्टॉक होल्डिंग और राजकोषीय बोझ:

सरकार प्रायः तब बफर मानदंडों से 2-3 गुना अधिक स्टॉक रखती है। इससे अनाज रखरखाव की लागत बढ़ती है और खाद्य सब्सिडी का बिल अत्यधिक बढ़ जाता है।

उदाहरण: शांता कुमार समिति (2015) ने रेखांकित किया था कि बफर मानदंड से अधिक स्टॉक रखने के कारण सरकार को सालाना हजारों करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय बोझ उठाना पड़ता है।

3. खुले बाजार में अनजाने में कीमतें बढ़ना:

जब सरकार ही बाजार से अधिकांश खाद्यान्न खरीदकर बफर स्टॉक में बंद कर देती है, तो खुले बाजार में व्यापारियों के लिए अनाज कम पड़ता है, जिससे सामान्य दिनों में भी कीमतें बढ़ सकती हैं।

उदाहरण: चावल उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा सरकारी बफर स्टॉक में चले जाने से कई बार निजी बाजार में गैर-बासमती चावल के खुदरा दाम बढ़ जाते हैं।

4. लॉजिस्टिक्स, लीकेज और प्रशासनिक अक्षमताएँ:

अनाज को एक राज्य से दूसरे राज्य भेजने में परिवहन नुकसान, चोरी, चूहों का प्रकोप और गोदामों में नमी के कारण गुणवत्ता में भारी गिरावट आती है।

उदाहरण: सीएजी की रिपोर्टों में बार-बार FCI के गोदामों में परिवहन और भंडारण के दौरान होने वाले भारी नुकसान और खाद्यान्न के सड़ने पर सवाल उठाए गए हैं।



5. क्षेत्रीय असंतुलन:

अधिकांश बड़े और वैज्ञानिक गोदाम पंजाब, हरियाणा और आंध्र प्रदेश जैसे खाद्यान्न अधिशेष (Surplus) राज्यों में स्थित हैं, जबकि पूर्वी एवं उत्तर-पूर्वी उपभोग राज्यों (Deficit States) में भंडारण क्षमता बेहद कम है।

उदाहरण: बिहार और ओडिशा जैसे राज्यों में खरीद के समय स्थानीय भंडारण क्षमता कम होने के कारण अनाज को लंबी दूरी तक ले जाना पड़ता है, जिससे परिवहन लागत और खराबी दोनों बढ़ती है।

आगे की राह

1. शांता कुमार समिति (2015) की सिफारिशें: FCI के पुनर्गठन की आवश्यकता है। खरीद और भंडारण में निजी क्षेत्र को शामिल किया जाए तथा केवल जरूरतमंद राज्यों में ही प्रत्यक्ष खरीद पर ध्यान केंद्रित किया जाए।

2. साइलो और आधुनिक तकनीक का प्रयोग: सड़ने-गलने से बचाने के लिए पारंपरिक गोदामों के स्थान पर स्टील साइलो का निर्माण किया जाए। (उदा. 'डिपो ऑनलाइन सिस्टम' से ट्रैकिंग करना)।

3. निजी क्षेत्र की भागीदारी: प्राइवेट-पब्लिक पार्टनरशिप के तहत साइलो और अत्याधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने के लिए निजी निवेशकों को रियायत दी जाए।

4. विकेंद्रीकृत खरीद: सभी राज्यों को अपने स्तर पर खरीद और स्थानीय स्तर पर ही भंडारण करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए ताकि अनावश्यक परिवहन लागत बचे।

निष्कर्षतः बफर स्टॉक भारत की खाद्य सुरक्षा और कृषि मूल्य स्थिरता की रीढ़ है। हालाँकि, केवल खाद्यान्न एकत्र कर लेना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि इसका वैज्ञानिक, आधुनिक और कुशल प्रबंधन होना आवश्यक है। बुनियादी ढाँचे में सुधार, निजी क्षेत्र की भागीदारी और शांता कुमार समिति की सिफारिशों को लागू करके ही हम बफर स्टॉक को 'आर्थिक बोझ' से बदलकर एक 'कुशल आर्थिक सुरक्षा कवच' बना सकते हैं।

JOIN US-RESULT MITRA



